



# दिल्ली विश्वविद्यालय UNIVERSITY OF DELHI

(राजभाषा अनुभाग RAJBHASHA SECTION)

कमरा संख्या : 308, तृतीय तल, नया प्रशासनिक खंड, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007 (दूरभाष: 011-27666269, एक्स नं.: 1807)

Room No.:308, 3<sup>rd</sup> Floor, New Administrative Block, University of Delhi, Delhi-110007 (Phone: 011-27666269, Ext. No.: 1807)

286  
53334-621  
18/2

फाइल संख्या: आरबीसी/01/2012/2620-2852

दिनांक: 12-02-2013.

14

## परिपत्र CIRCULAR

**विषय :** राजभाषा अधिनियम, 1963(यथा संशोधित, 1967) की धारा 3(3) का प्रभावी अनुपालन।

**Sub :** Effective Compliance of Section 3(3) of Official Language Act, 1963 (As amended, 1967).

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभागों तथा उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के लिए यह अनिवार्य है कि वे राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित, 1967) की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ-साथ जारी करें :

It is obligatory for all the Ministries/Departments of Govt. of India and their attached/subordinate offices to issue all the documents under Section 3(3) of Official Languages Act, 1963(As amended, 1967) bilingually i.e. in Hindi and English simultaneously:

राजभाषा हिंदी के प्रयोग के बारे में दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/कार्यालयों/अनुभागों से राजभाषा अनुभाग में प्राप्त होने वाली तिमाही रिपोर्टों से यह ज्ञात होता है कि विश्वविद्यालय में राजभाषा अधिनियम, 1963(यथा संशोधित, 1967) की धारा 3(3) का शतप्रतिशत अनुपालन नहीं किया जा रहा है। कुछ विभाग/कार्यालय/अनुभाग ऐसे कागजात केवल अंग्रेजी में जारी कर रहे हैं।

It is observed from the quarterly progress reports received in Official Language Section regarding use of Hindi in various departments/offices/sections of University of Delhi that Section 3(3) of Official Languages Act, 1963(As amended, 1967) is not cent percent complied with in this University. Some of the departments/offices/sections are issuing such documents in English only.

अधिनियम अनुपालन की यह त्रुटि गंभीर बात है। अतः यह निदेश दिया जाता है कि भविष्य में राजभाषा अधिनियम, 1963(यथा संशोधित, 1967) की धारा 3(3) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

Non-compliance of the Act is a serious matter. It is therefore directed to ensure that the Section 3(3) of Official Languages Act, 1963(As amended, 1967) is complied with strictly.

.....2/-

